

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:- एफ13(3)/ विवाह/वीएस/डीईएस/2022/1015

दिनांक: 07-11-2024

जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एव,
जिला कलेक्टर,
समस्त ।

विषय:- विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभिन्न जिलों में निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में रजिस्टर्ड की गई विवाह पंजीयन के रिकार्ड की जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि रजिस्टर्ड विवाह पंजीयन का रिकार्ड सामान्यतः व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं किया जा रहा है यथा विवाह पंजीयन रजिस्टर में प्रविष्टियाँ अपूर्ण होना, रिकार्ड में पंजीयन से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना अथवा अपूर्ण होना, पंजीयन रजिस्टर में वर-वधू के संयुक्त फोटो के साथ साथ वर-वधू के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर भी नहीं होना आदि कमियाँ पाई गई।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में सभी रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को विवाह पंजीयन का पृथक रजिस्टर का व्यवस्थित रूप से संधारण, विवाह पंजीयन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज का रिकार्ड, विवाह पंजीयन हेतु वर-वधू की उपस्थिति, वर-वधू की संयुक्त फोटो का रजिस्टर में चस्पा करने तथा वर-वधू के अँगूठा निशान/हस्ताक्षर लेने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का श्रम करावें।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिला नोडल अधिकारी (वि.प.) एवं संयुक्त/उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई-मेल आई.डी. jd.vital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by VINESH
SINGHVI <vineshsinghvi@gmail.com>
Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint
Secretary
Date :06-11-2024 06:40:10